



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1230]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 15, 2019/फाल्गुन 24, 1940

No. 1230]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/PHALGUNA 24, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1377(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(क) दिल्ली के नीचे क्रम संख्या 19 के पश्चात्, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"20	सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी प्रा. लि., नई दिल्ली पंजीकरण सं. 56/एन/एफ.एस.एस.ए.आई/2019 17, डी. एल. एफ. औद्योगिक क्षेत्र, पहली और दूसरी मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली-110015	रासायनिक जैविक"

(ख) राजस्थान के नीचे क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
'3	जगदंबा लैबोरेटरीज़, जयपुर पंजीकरण सं. 35/एन/एफ.एस.एस.ए.आई/2016 119, सोलिटरी इंडस्ट्रियल पार्क, फेज - 1, दहमी कलां, बागर, जयपुर, 303007- राजस्थान	रासायनिक जैविक

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(क) महाराष्ट्र के नीचे क्रम संख्या 28 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
'29	जूबिलेंट फार्मा एंड केमिकल लैब (ओ पी सी) प्रा लि, नवी मुंबई पंजीकरण सं. 54/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2019 सूर्य गायत्री, प्लॉट नंबर डी -14 / 15, सेक्टर नंबर 6, न्यू पनवेल (ई), नवी मुंबई - 410206, महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) आंध्र प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 4 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
'5	नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कॉमग्रेड- टेस्टिंग सर्विसेज, रीजनल लेबोरेटरी, विशाखापट्टनम पंजीकरण सं. 65/एस/एफ.एस.एस.ए.आई/2019 सरदार गोठुलतचन भवन, डी. सं. 3-2 / 2 से 4, आदर्श नगर, विशाखापट्टनम- 530040, आंध्र प्रदेश	रासायनिक जैविक

1. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में,

(क) पश्चिम बंगाल के नीचे क्रम संख्या 6 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"7	कीटनाशक अवशेष प्रयोगशाला, चाय अनुसंधान संघ, कोलकाता पंजीकरण सं. 10/ई /एफ.एस.एस.ए.आई/2019 113, पार्क स्ट्रीट, 9 वीं मंजिल, कोलकाता -700016, पश्चिम बंगाल	रासायनिक"

[फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित एस.ओ. संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018; और
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION,

(a) under Delhi, after serial number 19, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"20	Centre for Environment and Food Technology Pvt. Ltd., New Delhi Reg. No. 56/N/FSSAI/2019 17, DLF Industrial Area, 1st & 2nd Floor, Moti Nagar, New Delhi-110015	Chemical Biological";

(a) under Rajasthan for serial number 3 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"3	Jagdamba Laboratories, Jaipur Reg. No. 35/N/FSSAI/2016 119, Solitare Industrial Park, Phase – 1st, Dahmi Kallan, Bagru, Jaipur, 303007- Rajasthan	Chemical Biological";

2. in 'B' related to WESTERN REGION,

(a) under Maharashtra, after serial number 28, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"29	Jubilant Pharma and Chemical Lab (OPC) Pvt. Ltd., Navi Mumbai Reg. No. 54/W/FSSAI/2019 Surya Gayatri, Plot No. D-14/15, Sector No. 6, New Panvel (E), Navi Mumbai – 410206, Maharashtra	Chemical Biological";

3. in 'C' related to SOUTHERN REGION,

(a) under Andhra Pradesh, after serial number 4, the following entries shall be inserted in respective columns, namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"5	National Collateral Management Services Limited, Commgrade-Testing Services, Regional Laboratory, Vishakhapatnam Reg. No. 65/S/FSSAI/2019 Sardar Gouthulatchanna Bhavan, D. No. 3-2/2 to 4, Adarsh Nagar, Vishakhapatnam- 530040, Andhra Pradesh	Chemical Biological"

4. in 'D' related to EASTERN REGION,

(a) under West Bengal after serial number 6, the following entries shall be inserted in respective columns, namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"7	Pesticide Residue Laboratory, Tea Research Association, Kolkata Reg. No. 10/E/FSSAI/2019 113, Park Street, 9 th Floor, Kolkata -700016, West Bengal	Chemical

[F. No. 12012/01/2019-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018